न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/66/2022

अपींलाट खेमसिंह जोधा
निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश

दिनांक : 04.07.2022

अपीलांट खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 912875 दिनांक 19.04.2022 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं सूचना का अधिकार प्रार्थना–पत्र में चाही गई वांछित सूचना से किसी प्रकार का वृहद् जनहित निहित होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलांट एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर